भामाशाह योजना–2014

राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014/29279 दिनांकः 18.07.2014

परिपत्र–1

1. राज्य सरकार ने वर्ष 2008 में भामाशाह योजना प्रारम्भ की थी। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न थे :–
   i. वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion), यानि कि यह सुनिश्चित करना कि प्रदेश के सभी परिवारों के नाम बैंक खाता हो,
   ii. और, उपरोक्त बैंक खाते महिलाओं के नाम से हों, जिससे कि महिलाएं ही यह तय कर सकें कि परिवार के लिये खर्च किन चीजों के लिये आवश्यक है,
   iii. तथा, सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सीधे ही इन बैंक खाते में जमा कराया जाए, ताकि लाभार्थी को लाभ सीधा एवं शीघ्र मिले।
2. परन्तु 2009 से आगे इस योजना की क्रियान्विति नहीं की गयी।
3. अब राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भामाशाह योजना का क्रियान्वयन पुनः हाथ में लिया जाए। तथा, इस योजना में आवश्यक बदलाव कर, इसे अधिक बड़े एवं विस्तृत रूप में पुनः लागू किया जाए। राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नकद व गैर–नकद सेवाओं के पारदर्शी एवं त्वरित वितरण हेतु राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढ़ांचे (भामाशाह प्लेटफार्म) का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम की सफलता हेतु त्रुटि रहित समंको (Error free Database) की नितान्त आवश्यकता है।
4. भामाशाह योजना के माध्यम से, राज्य में चल रही विभिन्न सेवाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी को कोर बैंकिंग सुविधायुक्त किसी भी बैंक में आधार पहचान संख्या से जुड़ा खाता खोलना आवश्यक होगा। पारिवारिक लाभ को आवश्यक रूप से परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में ही हस्तान्तरित

किया जायेगा। इस हेतु भामाशाह नामांकन के साथ, महिला मुखिया का खाता होने पर उसे एकत्रित किये जा रहे भामाशाह डेटाबेस से लिंक करना अनिवार्य होगा। महिला मुखिया के नाम खाता नहीं होने पर शिविर में बैंक खाता आवश्यक रूप से खुलवाया जाएगा।

5. भामाशाह योजना–2014 की रूपरेखा **परिशिष्ठ–1** पर उपलब्ध है।

6. वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा नये राशन कार्ड भी बनाये गये हैं। खाद्य सुरक्षा योजना हेतु सूचियां भी बनायी गयी हैं। लेकिन चूंकि यह कार्य शीघ्रता में किया गया था, अतः उसमें बहुत सारी गलतियॉ रह गयी हैं। इसी प्रकार, बी.पी.एल. तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की सूचियों में भी कतिपय त्रुटियां नोट की गई हैं। भामाशाह हेतु एकत्रित किये जा रहे डेटाबेस में इन गलतियों का सुधार भी अनिवार्य है।

7. पूर्व में किये गये विभिन्न सर्वेक्षणों में रही कमियों को देखते हुए, यह आवश्यक है कि प्रदेश में निवास कर रहे परिवारों का पूर्ण रूप से त्रुटि रहित सर्वेक्षण किया जाए। चूंकि यह भामाशाह योजना के लिए भी आवश्यक है, अतः परिवार आधारित सूचना, परिवार के सदस्यों के बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ एकत्र की जाएगी। इस प्रकार के गुणवत्ता पूर्ण सर्वे के उपरान्त न केवल पृथक–पृथक सर्वे कराने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, बल्कि राशन कार्ड, खाद्य सुरक्षा, बी.पी.एल. आदि सभी लाभ भामाशाह कार्ड के माध्यम से दिये जाएंगे। इस तरह अलग–2 विभागों और स्कीमों हेतु अलग–2 कार्ड की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इस हेतु 16 अगस्त से माह नवम्बर/दिसम्बर, 2014 (उदयपुर संभाग हेतु 1 सितम्बर से प्रारम्भ) के मध्य भामाशाह नामांकन शिविर आयोजित किये जाएंगे।

8. भामाशाह नामांकन के माध्यम से राज्य के सभी परिवारों एवं परिवार के समस्त सदस्य किसी भी आयु के हों, का समग्र डेटाबेस तैयार किया जायेगा। विभिन्न सरकारी योजनाओं में व्यक्तिगत और परिवार से सम्बन्धित डाटा की आवश्यकता होती है। इस योजना के अन्तर्गत "आधार" नामांकन हेतु आवश्यक सूचना के अतिरिक्त परिवार एवं परिवार के सदस्यों की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत

पात्रता निर्धारित करने हेतु अन्य सूचना यथा वैवाहिक स्थिति, परिवार की श्रेणी, व्यवसाय, आय, पहचान सत्यापन दस्तावेज आदि का भी संग्रहण किया जायेगा।

9. नामांकन शिविर ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। शिविर 2–3 दिवस का होना चाहिए ताकि सभी परिवारों का नामांकन बिना किसी गलती के हो सके। नामांकन के समय ली गई सूचना का सत्यापन पटवारी, ग्राम सेवक, अन्य नामित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाएगा। सम्भावित नामित अधिकारी और शिविरों की रूपरेखा क्रमशः संलग्न **परिशिष्ठ–3 व परिशिष्ठ 10** पर है। हर नामित अधिकारी/कर्मचारी की सील बनाई जाएगी, जिसमें उसका नाम और पद स्पष्ट रूप से अंकित होगा, जिससे प्रत्येक किया गया हस्ताक्षर किसका है, उस कर्मचारी/अधिकारी की आसानी से पहचान की जा सके।

   नामांकन अभियान के दौरान प्रत्येक पंचायत समिति तथा नगर निगम मुख्यालयों पर स्थायी नामांकन केन्द्र भी स्थापित किये जाएंगे ताकि पंचायत स्तरीय शिविर मे न आ पाने वाले परिवार/सदस्य का नामांकन किया जा सके।

10. जिला कलेक्टर द्वारा शिविरों के स्थान, दिनांक तथा अवधि की सूचना जनसामान्य तथा समस्त संबंधित को दी जाएगी। प्रत्येक नामांकन शिविर का प्रभारी S.D.O. अथवा B.D.O. होगा। साथ ही, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नामांकन करने के समय एकत्र एवं कम्प्यूटरीकृत सूचना में कोई त्रुटि एवं विसंगति न हो, प्रत्येक शिविर में S.D.O., B.D.O. व तहसीलदार में से कम से कम दो अधिकारी आवश्यक रूप से उपलब्ध रहेंगे। प्रयास यह रहे कि तीनों ही अधिकारी उपलब्ध रहें। यदि शिविर में इन तीन में से दो अधिकारी नही हों, तो शिविर का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। अतः एक पंचायत समिति में एक साथ, एक अथवा दो ही शिविर आयोजित किये जाएं, जिससे शिविर के समस्त कार्य वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में ही सम्पन्न हों। इस प्रकार सही सूचना एकत्र होने के फलस्वरूप यह अपेक्षित है, कि यह इस प्रकार का अंतिम सर्वे/नामांकन अभियान होगा, जो समस्त विभागीय योजनाओं के लाभांवितों के चयन व प्रमाण के लिए आधार होगा। इन तीन में से तीनों, अथवा कम से कम

दो अधिकारी एकत्रित की गई सूचना को मय नाम एवं पद की सील के हस्ताक्षरित करेंगे।

11. शिविर के सफल संचालन हेतु विभिन्न व्यवस्थाएं जैसे अधिकारी एवं कर्मचारी की उपस्थिति, जल, छाया, बैठक, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, विद्युत व इन्टरनेट की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ–2** में दिया गया है।

12. नामांकन शिविरों में निम्नलिखित कार्य किये जाएंगे –

   i. परिवारों से संबंधित आवश्यक सूचना (जिसका प्रपत्र **परिशिष्ठ–7** पर संलग्न है) को एकत्र करना।

   ii. परिवारों के सदस्यों का फोटो लेना।

   iii. जिन लोगों का आधार नामांकन नहीं हुआ है, उनके बायोमैट्रिक लेने हेतु, आधार नामांकन भी करवाना।

   iv. परिवार की महिला के नाम, उसके वर्तमान बैंक खाते को आवश्यक रूप से लिंक करवाना और बैंक खाता नहीं होने की स्थिति में बैंक खाता खुलवाना। परिवार के अन्य सदस्यों का खाता भी लिंक या खुलवाया जा सकेगा, यदि वह सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसी सरकारी योजना का लाभार्थी है जैसे कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्रवृत्ति इत्यादि। यहां यह उल्लेखनीय है कि परिवार एक ईकाई है और पारिवारिक कार्ड में प्रत्येक सदस्य का अंकन होगा। व्यक्तिगत लाभ की पात्रता रखने की स्थिति में ही उपरोक्तानुसार पृथक बैंक खाता खुलवाया जाएगा तथा ऐसे सदस्य द्वारा भिन्न रंग का नामांकन कार्ड प्राप्त किया जा सकेगा।

   v. भामाशाह योजना से संबंधित सूचना एकत्रित करने के साथ–साथ, नये राशन कार्डों की सूचना में हुई गलतियों तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन की गलतियों को ठीक करने का कार्य भी किया जाएगा। इस कार्य हेतुः–

      - संबंधित विभागीय अधिकारी, यथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी नामांकन शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे।

- लाभान्वित की पात्रता की जांच कर सही पाये जाने पर विभागीय कोड (पेंशन हेतु पी.पी.ओ. संख्या एवं श्रेणी तथा खाद्य सुरक्षा हेतु राशन कार्ड एवं पात्रता क्रमांक) भामाशाह नामांकन में जोड़े जाएंगे।
- उक्त योजनाओं की पात्रता की पुनः जांच विभागीय अधिकारी द्वारा भामाशाह नामांकन द्वारा लिये गये दस्तावेजों के आधार पर शिविर के पश्चात् की जाएगी। यह प्रक्रिया द्वितीय प्रमाण के रूप में होगी।
- विभागीय स्तर से उपलब्ध प्रपत्र में त्रुटियां अंकित कर शिविर प्रभारी के माध्यम से जिला स्तर पर प्रेषित की जाएगी।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित कार्य की प्रक्रिया क्रमशः **परिशिष्ठ–11 व 12** पर संलग्न है।

13. नामांकन शिविरों में कार्य करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी –

i. **शिविरों में उपस्थिति :**

- **अधिकारी एवं कर्मचारी–** प्रत्येक शिविर में S.D.O., B.D.O. एवं तहसीलदार में से किन्ही दो अधिकारियों का उपस्थित रहना आवश्यक है। प्रत्येक शिविर में संबंधित पटवारी एवं ग्रामसेवक, एकत्र सूचना का सत्यापन करेंगे तथा S.D.O., B.D.O. एवं तहसीलदार, स्वयं सूचनाओं की सत्यता के लिये उत्तरदायी होंगे। शिविरों में उपस्थित अधिकारी एवं कर्मचारी की नामांकन शिविरों में भूमिका का विस्तृत विवरण **परिशिष्ठ–3** अनुसार रहेगा।
- **बैंक प्रतिनिधि–** प्रत्येक शिविर के लिये जिला कलक्टर द्वारा संबंधित क्षेत्र के कोर बैंकिंग सुविधा वाले बैंक अथवा राज्य स्तर से नामित पार्टनर बैंक के प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु राज्य स्तर पर राजकॉम्प द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक/दो पार्टनर बैंक का चयन कर सूचित किया जाएगा। बैंक प्रतिनिधि द्वारा शिविर के दौरान बैंक खाते खोलने का कार्य किया जाएगा। बैंकिंग पार्टनर के प्रतिनिधि के दायित्वों को **परिशिष्ठ–4** पर संलग्न किया गया है।
- **नामांकन एजेन्सी–** प्रत्येक जिले के लिये आवश्यकतानुसार दो या अधिक नामांकन एजेन्सी राज्य स्तर से चयनित की जाएंगी। नामांकन एजेन्सियों द्वारा जिला कलक्टर के मार्गदर्शन में शिविरों में आवश्यक कम्प्यूटर एवं ऑपरेटर

लगाकर नामांकन का कार्य किया जाएगा। नामांकन एजेन्सी के दायित्वों को **परिशिष्ठ–5** पर संलग्न किया गया है।

ii. **शिविरों का प्रचार–प्रसार**– शिविरों की तिथियों तथा स्थान के साथ साथ योजना से होने वाले लाभ एवं नामांकन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का प्रचार प्रसार, जिला स्तर से किया जाएगा। प्रचार–प्रसार से सम्बन्धित विवरण **परिशिष्ठ–6** पर संलग्न किया गया है।

iii. **नामांकन प्रपत्र**–नामांकन के लिए आवश्यक प्रपत्र में पूर्व में उपलब्ध जानकारी पहले से ही भरी जाकर, सॉफ्टवेयर की सहायता से ये प्रपत्र प्रिंट कर उपलब्ध करवाए जाएंगे। विभिन्न विभागों के पास प्राप्त डेटा के आधार पर राजकॉम्प के द्वारा पहले से प्राप्त जानकारी द्वारा भरे हुए (Pre-Populated) प्रपत्र की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी (Soft and hard Copies) में उपलब्ध कराये जाएंगे। इस प्रपत्र का प्रारूप **परिशिष्ठ–7** पर संलग्न है।

iv. **Data entry एवं Correction**– पहले से भरे हुए प्रपत्रों में प्रार्थी परिवार द्वारा भरी हुई सूचना को जांच कर गलतियां ठीक की जाएगी तथा जो सूचना उपलब्ध नहीं है, उसे भरा जाएगा। सूचना ठीक करने एवं भरने के लिये शिविर में ''सहायता डेस्क'' (Help Desk) पर सरकारी कर्मचारियों की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी। इस प्रकार भरे हुए प्रपत्र के आधार पर नामांकन एजेन्सी द्वारा सॉफ्टवेयर (Software) में उपलब्ध प्रपत्र पर उपलब्ध सूचना को सही कर प्रविष्टि (Entry) की जाएगी। इस सूचना एकत्रित करने की प्रक्रिया की पूर्ण अंकेक्षण जानकारी (Audit trail) भामाशाह एप्लीकेशन सॉफ्‌टवेयर में रखी जाएगी, जिससे यह ज्ञात होगा कि किस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सही सूचना एकत्रित की गई है व किसके द्वारा लापरवाही बरती गई है।

v. **सूचना का सत्यापन**– भामाशाह एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर (Application Software) में प्रविष्टि (Entry) के बाद पटवारी/ग्राम सेवक द्वारा सूचना का सत्यापन प्रपत्र की प्रति (Hard Copy) पर हस्ताक्षर (नाम व सील के साथ) कर एवं सॉफ्टवेयर (Software) पर डिजिटल हस्ताक्षर (Digital Signature) कर के किया जाएगा। इस सत्यापन को कम्प्यूटर पर करवाने में नामांकन एजेंसी द्वारा सहायता की जाएगी। सत्यापन की पूर्ण प्रकिया **परिशिष्ठ–8** पर संलग्न है।

14. भामाशाह शिविरों के आयोजन हेतु प्रबन्धन व्यय के लिए प्रस्तावित क्रय समितियां व बजट व्यवस्था **परिशिष्ठ–9** के अनुसार रहेगी।

15. नामांकन की प्रक्रिया में यह सुनिश्चित आवश्यक रूप से किया जाए कि एकत्र सूचना पूर्ण रूप से सही है। किसी भी क्षेत्र विशेष की सूचना में गलतियां पाए जाने पर उस क्षेत्र के लिए जिम्मेदारी तय की जाएगी और आवश्यक रूप से ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

भामाशाह नामांकन शिविरों के सफल संचालन हेतु जिला प्रशासन द्वारा उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

(राजीव महर्षि)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि–
1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान।
8. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
9. गार्ड पत्रावली।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना